न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा ,पीठासीन अधिकारी

राजस्व लोक अदालत –न्याय आपके द्वारा कैम्प थूम्बली

श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा नंबर 691/2018

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थी**

तहसीलदार,पचपदरा 1. पुरखा पैहलाद, विरमा पुत्र गोकल जाट वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1970.

आदेश दिनांक :– 25.06.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प थूम्बली पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आश्य का प्रस्तुत किया । हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दोराने गस्त गिरदावरी ग्राम **लाखनियों की ढाणी** मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नही है। उनका अंकन किया जावे।

राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8. 2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते/ सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है को राजस्व रेकर्ड में दर्ज/ तरमीम के आदेश दे रखे है।

अतः मौजा **लाखनियों की ढाणी** के खसरा न0 500/277, 497/277, 499/277, 498/277, 496/277, 739/277, 740/277 रकबा 1.00, 1.01, 0.17, 1.00, 3.05, 0.06, 0.10 बीघा मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे चल रहे रास्ते/ डामर सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'ब' मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण को दर्ज किया जाकर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किया गया । विप्रार्थीगण उपस्थित। जिसने कोई आपति पेश नहीं की ।

हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालात मे होने की ताईद की है तथा किसी प्रकार की आपति प्रकट नहीं की है। पटवारी हल्का मौजा **लाखनियों की ढाणी** ने संलग्न परिशिष्ट 'ब' में अंकित नक्शे मे 'ए' से 'बी', बी से सी, बी से डी, बिन्दु तक खसरा न0 न0 500/277, 497/277, 499/277, 498/277, 496/277, 739/277, 740/277 रकबा 1. 00, 1.01, 0.17, 1.00, 3.05, 0.06, 0.10 बीघा रास्ता वर्तमान मे चालू बताया है तथा इसे राजस्व रेकार्ड में सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में रखंते हुए किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं नक्शे मे तरमीम करने की प्रार्थना की है। विप्रार्थीगण ने भी इस पर कोई एतराज नहीं किया है। अतः भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (राज.)

Scanned by CamScanner

को अस्वीकार करने का आधार पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन अध्ययन किया।

बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/ तरमीम नक्शा लट्‌टा ट्रेस में तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी में भी किस्म गै मु. रास्ता दर्ज किया जावें।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा **लाखनियों की ढाणी** में अवस्थित खसरा न0 न0 500/277, 497/277, 499/277, 498/277, 496/277, 739/277, 740/277 रकबा 1.00, 1.01, 0.17, 1.00, 3.05, 0.06, 0.10 बीघा के बिन्दु 'ए' से 'बी' बी से सी व बी से डी में वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते मे ही दर्ज रहेगा। संलग्न नक्शा बिन्दु 'ए' से 'बी' से सी व बी से डी का रास्ता निर्णय का भाग रहेगा ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश दिनांक 25.06.2018 को सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
भू-अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.)